तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पंचायत निगरानी संख्याः 13/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
30.01.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या–1 (एक) कलबी समाज, बरलुट जरिये अध्यक्ष, श्री मूपाराम पुत्र भगवानजी, जाति– कलबी, निवासी– बरलुट, तहसील व जिला– सिरोही के अधिवक्ता श्री उमाराम देवासी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या–2 (सरपंच, ग्राम पंचायत, बरलुट) अनुपस्थित। प्रकरण में दिनांक 10.01.2024 को अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट की ओर से धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता व धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत हुआ कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध गलत तथ्यों के आधार पर निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया है जो चलने लायक ही नही है क्योंकि इसी विषय वस्तु के संबंध में इसी न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्याः 34/2002 अनवान शैतान सिंह बनाम अध्यक्ष, स्थापना स्थायी समिति, सिरोही व अन्य में दिनांक 18.12.2002 को निर्णय हो चुका है जिसमें इस प्रकरण का प्रार्थी भी पक्षकार था, इसलिये अप्रार्थी संख्या–01 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी आवेदन को खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 व सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की ओर से जवाब प्रस्तुत हुआ, जिसमें यह अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट के पक्ष में पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2022 को जिस भूमि का जारी किया गया है वह भूमि ग्राम पंचायत, बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. राजकीय बिलानाम भूमि का जारी किया गया है, जो ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार की भूमि नही होने से जारी पट्टा गलत है, जो निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया जावे। उक्त प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर बहस हेतु नियत तिथि 16.01.2024 को प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अप्रार्थी संख्या–1 (एक) के विद्वान अधिवक्ता श्री देवासी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज को राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के तहत विधि अनुरुप कार्यवाही करते हुए ग्राम पंचायत की आबादी भूमि (जो ग्राम पंचायत, बरलुट को आबादी विस्तार हेतु आवंटित की गई थी) का ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट से नियमानुसार प्रचलित बाजार दर अनुसार राशि वसूल करके विक्रय पत्रावली का सक्षम प्राधिकारी जिला परिषद्, सिरोही से अनुमोदन होने के पश्चात् ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज को पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2022 को जारी किया ... ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट को ... पंचायत, बरलुट द्वारा जिस भूमि का पट्टा जारी किया ... भूमि ... पंचायत, बरलुट को ग्राम ....र	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पंचायत निगरानी संख्याः 13 / 2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए
	बरलुट के खसरा संख्या 767 व 952 में जिला कलेक्टर, सिरोही एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही द्वारा आबादी विस्तार हेतु समय समय पर आवंटित की आबादी भूमि है तथा कलबी समाज, बरलुट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2022 के आस–पास सम्पूर्ण क्षेत्र में घनी आबादी बसी हुई है तथा मौके पर कलबी समाज, बरलुट पंचायत की आबादी भूमि का नियमानुसार पट्टा प्राप्त करके निर्माण की स्वीकृति प्राप्त कर मौके पर पक्का निर्माण कार्य करवाया है। यह कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2002 को निरस्त कराने हेतु श्री शैतानसिंह पुत्र झालमसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– बिशनगढ़, जिला– जालोर द्वारा अध्यक्ष, स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति, सिरोही व अन्य के विरुद्ध राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके पंचायत निगरानी संख्याः 34 / 2002 है एवं इस पंचायत निगरानी में पंचायत समिति, सिरोही की स्थापना स्थाई समिति के अध्यक्ष एवं ग्राम पंचायत, बरलुट भी पक्षकार थी, जिन्होनें उक्त पंचायत निगरानी संख्या 34 / 2002 में जवाब प्रस्तुत किया था। इस प्रकार, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही को उक्त पंचायत निगरानी संख्या 34 / 2002 की पूर्व से जानकारी थी एवं वह भी स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति, सिरोही के जरिये उक्त पंचायत निगरानी संख्याः 34 / 2002 में पक्षकार था। यह कि इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्याः 34 / 2002 में बाद सुनवाई पक्षकारान गुणावगणु पर परीक्षण करके निर्णय दिनांक 18.12.2002 के द्वारा प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया गया था। यह कि विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा इस न्यायालय में जिन तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2002 को निरस्त कराने हेतु प्रस्तुत किया है वह चलने योग्य नही है, क्योंकि इसी पट्टे की विषय वस्तु का निर्णय पूर्व में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2002 को किया जा चुका है, जिसमें पंचायत समिति, सिरोही भी पक्षकार थी। धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार अगर किसी प्रकरण का पूर्व में निर्णय हो चुका है तो पुनः उसी प्रकरण को सुना नही जा सकता है एवं कानून बाधित है। अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट के अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, बरलुट को खसरा संख्या 767 व 952 में जिला कलेक्टर, सिरोही व उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही द्वारा समय समय पर आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का नक्शें में सही रुप से तरमीम नही होने व गलत तरमीम होने से रेकर्ड में दुरुस्ती हेतु ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), सिरोही के न्यायालय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो अभी तक वि[illegible] है। चूंकि अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट के पक्ष [illegible] पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2002 की विषय वस्तु के संबंध में पक्षकारान के मध्य .....लगातार	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पंचायत निगरानी संख्याः 13/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्याः 34/2002 में दिनांक 18.12.2002 को निर्णय हो चुका है। ऐसी स्थिति में, धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार ''पूर्व न्याय'' के सिद्धान्त के तहत प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का यह निगरानी आवेदन कानूनन चलने योग्य नही है। अतः अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 11 सपठित धारा 151 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का निगरानी आवेदन खारिज किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा यह निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट के पक्ष में क्षेत्रफल 1450 वर्गफीट भूमि का बाजार दर पर जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2002 को निरस्त कराने हेतु राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत इस बिनाय पर प्रस्तुत किया गया है कि ''ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट के पक्ष में पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2022 को जिस भूमि का जारी किया गया है वह भूमि ग्राम बरलुट के खसरा संख्या 933 किस्म गै.मु. राजकीय बिलानाम भूमि है।'' पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट के पक्ष में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अर्न्तगत प्रचलित बाजार दर पर जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2002 को निरस्त कराने हेतु श्री शैतानसिंह पुत्र झालम सिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– बिशनगढ़, जिला– जालोर द्वारा अध्यक्ष, स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति, सिरोही व अन्य के विरूद्ध पूर्व में इस न्यायालय में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत एक निगरानी आवेदन प्रस्तुत किया था जो इस न्यायालय में पंचायत निगरानी संख्या 34/2002 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई पक्षकारान इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.12.2002 को पारित निर्णय के द्वारा प्रार्थी का निगरानी आवेदन खारिज किया गया था।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि जिला कलेक्टर, सिरोही एवं उपखण्ड़ अधिकारी, सिरोही द्वारा ग्राम पंचायत, बरलुट को ग्राम बरलुट, पटवार हल्का बरलुट के खसरा संख्या 767 व 952 में आबादी विस्तार हेतु आवंटित भूमि का राजस्व नक्शें में सही तरमीम नही होने से रेकर्ड दुरस्ती हेतु ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा भू अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड़ अधिकारी), सिरोही के न्यायालय में धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो अ[illegible]नुसार अभी तक लम्बित है। यह भी उल्लेखनीय है [illegible] पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, [illegible] 03 दिनांक 10.6.2002 से संबंधित [illegible]न आबादी बसी हुई है।

......लगातार

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज पंचायत निगरानी संख्याः 13/2023	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म कीतामिल में जारी हुए

यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट को जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2002 को निरस्त कराने हेतु उक्त श्री शैतान सिंह द्वारा पूर्व में प्रस्तुत पंचायत निगरानी संख्याः 34/2002 की सुनवाई के दौरान विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई, जबकि उक्त पंचायत निगरानी संख्याः 34/2002 में अध्यक्ष, स्थापना स्थाई समिति, पंचायत समिति, सिरोही भी पक्षकार थे।

चूंकि प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, बरलुट द्वारा अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 03 दिनांक 10.6.2002 की विषय वस्तु के संबंध में पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पंचायत निगरानी संख्याः 34/2002 में गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर दिनांक 18.12.2002 को निर्णय किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में, इस प्रकरण में धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत ''पूर्व न्याय'' (Res Judicata) का सिद्धान्त लागू होता है। ऐसी स्थिति में, अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का यह निगरानी आवेदन खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार हस्तगत प्रार्थना पत्र अप्रार्थी कलबी समाज, बरलुट अर्न्तगत धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता एवं सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाकर प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोही का यह निगरानी आवेदन खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक फैसल शुमार होकर नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 30 जनवरी, 2024 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.02.19 17:10:21 IST
Reason: SelfAttested